आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः— F7(4)vividh/Acad/CCE/2022/Part-00787

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः—शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के सम्बन्ध में।
सन्दर्भः—शासन सचिव कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार का अर्द्धशासकीय पत्रांक 68348 दिनांक 22.10.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान के राजकीय / निजी महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत उद्योगों / प्रतिष्ठानों में फ्रेशर्स के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगारपरक बन सकते हैं। उक्त योजना के लिए इच्छुक विद्यार्थी भारत सरकार के पोर्टल (www.aprenticeshipindia.gov.in) पर स्वंय का पंजीकरण कर संबंधित उद्योगों / प्रतिष्ठानों में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

अतः प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के संबंध में जानकारी प्रदान करें जिससे विद्यार्थी उक्त योजना का लाभ उठा सकें।

<u>यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।</u>

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, (अकादमिक)

प्रतिलिपि —

1. निजी सचिव, शासन सचिव, कौशल, नियोजन वं उद्यमिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय सम्बन्धित को अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, (अकादमिक)

Signature valid
Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2024.10.22 22:31:54 IST
Reason: Approved

डॉ0 समित शर्मा, आई.ए.एस.
शासन सचिव
Dr. Samit Sharma, I.A.S.
Secretary to Government

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग
राजस्थान सरकार
Skills, Employment & Entrepreneurship Department
Government of Rajasthan

सत्यमेव जयते

(ID No.) 994 (SPS/CCE)
(Date) 22.10.24

अर्द्ध शासकीय पत्रांकः 68348 दिनांक 22.10.24

प्रिय आरूषी,

JD (Acad.)
JD (PI)

प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में संपूर्ण भारत वर्ष में स्थित विभिन्न निजी एवं राजकीय उद्योगों/प्रतिष्ठानों में युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का संचालन शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत किया जाता है जो कि केन्द्रीय अधिनियम है। शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार के पोर्टल (www.aprenticeshipindia.gov.in) पर उद्योगों/प्रतिष्ठानों द्वारा पंजीकरण कर उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं की संख्या प्रदर्शित की जाती है तथा इच्छुक युवा भी पोर्टल पर स्वयं का पंजीकरण कर संबंधित उद्योगों/प्रतिष्ठानों में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

शिक्षुता प्रशिक्षण योजनान्तर्गत उद्योगों/प्रतिष्ठानों में Trade Apprentices की नियुक्ति हेतु आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के अतिरिक्त फ्रेशर्स को भी नियुक्त किया जाता है। उद्योगो/प्रतिष्ठानों में कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 15% तक शिक्षुओं की नियुक्ति की जा सकती है। जिसमें 0–10% तक आईटीआई उत्तीर्ण तथा 10–15% तक फ्रेशर्स (जिनके पास केवल एकेडेमिक योग्यता होती है) को नियुक्त किये जाने का प्रावधान है।

महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा भी शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत उद्योगों/प्रतिष्ठानों में फ्रेशर्स के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगारपरक बन सकते है। अतः उक्त जानकारी आपके ध्यान में लाते हुए अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके विभाग के अधीन संचालित होने वाले समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालियों को आवश्यक निर्देश ज़ारी करने का श्रम करे ताकि अधिक से अधिक युवा शिक्षुता प्रशिक्षण योजना का लाभ उठा सके।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

डॉ. आरूषी अजेय मलिक, IAS
शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

Document certified by SAMIT SHARMA
<samit.sharma@rajasthan.gov.in>.
Digitally Signed by Samit Sharma
Designation : Secretary To Government
Date :21-10-2024 07:13:21